**7. अस्थायी पदों तथा अस्थायी सहायकों इत्यादि को स्थायी करने के सम्बन्ध में सरकारी नीति का अनुपालन ।**

8 (1)

No. OM/E-1026/69—511, dated Patna, the 19th November, 1959, from the Deputy Secretary to the Government of Bihar, Cabinet Secretariat (Organisation and Methods Section), to all Secretaries to Government/all Heads of Departments.

The undersigned is directed to request that figures regarding number of non-gazetted posts made permanent recently in accordance with the policy decision of Government may please be forwarded to the O. and M. Section immediately and *in no case later than Monday the Ist December*, 1969, for being placed before the Advisers.

2. Secretaries to Government/Heads of Departments are requested to kindly ensure compliance so that the figures are placed before the Advisors in time.

8. (2)

पत्र संख्या ओ० एम०-ई-1026-69-19, दिनांक 15 जनवरी, 1970, श्री ठाकुर प्रसाद, सरकार के उप-सचिव, सचिवालय (संगठत एवं पद्धति प्रशाखा), बिहार द्वारा सरकार के सभी विशेष सचिव, सरकार के सभी सचिव एवं सभी विभागाध्यक्ष को प्रेषित ।

विषय—अस्थायी पदों तथा अस्थायी सहायकों इत्यादि को स्थायी करने के संबंध में सरकार की नीति का प्रतिपालन ।

समन्वय विभाग के परिपत्र संख्या 4948, दिनांक 2 सितम्बर, 1969 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सभी विभागों में अस्थायी पद को स्थायी किए जाने की सूचना संगठन एवं पद्धति प्रशाखा के ज्ञाप संख्या 511, संलग्न, दिनांक 19 नवम्बर, 1969 द्वारा परामर्शी महोदय के सूचनार्थ मांगी गयी थी । विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचनाओं के अवलोकन के उपरान्त परामर्शी महोदय ने ऐसा आदेश दिया है कि उपरोक्त सरकारी नीति के प्रतिपालन में कैसी प्रगति हो रही है इस पर निगरानी रखना आवश्यक है । अतः मुझे आदेशानुसार आपसे अनुरोध करना है कि प्रत्येक तीन-तीन महीने पर विहित प्रपत्र में एक विवरणी संगठन एवं पद्धति प्रशाखा को भेजने की कृपा करें । प्रत्येक तिमाही की विवरणी त्रैमासान्त के अन्त होने की अवधि के एक महीने के अन्दर अवश्य संगठन एवं पद्धति प्रशाखा को उपलब्ध करायी जाय । अर्थात् जनवरी-मार्च, 1970 की विवरणी अप्रील, 1970 में, अप्रील-जून, 1970 की विवरणी जुलाई, 1970 में, जुलाई-सितम्बर, 1970 की विवरणी अक्टूबर, 1970 में एवं अक्तूबर-दिसम्बर, 1970 की विवरणी जनवरी, 1971 तक देय होगी ।

उपरोक्त विवरणी समय पर उपलब्ध कराने के लिये सभी विभागों में संबंधित पदाधिकारियों को आगाह कराने की कृपा की जाय ।

अराजपत्रित अस्थायी पदों का स्थायीकरण एवं उनपर अराजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धी प्रपत्र ।

| विभागों का नाम । | अस्थायी पदों की कुल संख्या । | कितने अस्थायी पदों को स्थायी करना है । | किये गये स्थायी पदों की संख्या । |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

| स्थायी किए गए पदों पर पदस्थापित कर्मचारियों की संख्या । | शेष स्थायी पदों की संख्या । | शेष अस्थायी पदों की संख्या । | अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई । | अभ्युक्ति । |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | |

संख्या ओ० एम०/आर०-1-0103/77 8367

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संघठन एवं पद्धति प्रशाखा)

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष (सचिवालय से संलग्न)

पटना, दिनांक 12 दिसम्बर, 1977।

विषय :—अस्थायी अराजपत्रित पदों एवं उनके पद धारकों को स्थायी करने के सम्बन्ध में सरकारी नीति के अनुपालन सम्बन्धी अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को कहना है कि उपर्युक्त विषयक प्रतिवेदनों में, जो विभागों से प्राप्त होते हैं, बराबर कुछ-न-कुछ त्रुटियाँ पायी जाती हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विवरणी में विहित स्तम्भों के शीर्षक का सही अर्थ विभागों द्वारा नहीं लगाया जाता है। अतः वर्त्तमान विवरणी के प्रपत्र के स्तम्भों के शीर्षकों को और भी स्पष्ट कर दिया जा रहा है। संशोधित प्रपत्र अनुलग्न है।

2. अनुरोध है कि कृपया भविष्य में अनुलग्न संशोधित विवरणी में ही अपेक्षित प्रतिवेदन भेजें।

(ज्योतिर्मय प्रामाणिक)
सरकार के अवर सचिव।

---

| विभागों का नाम | अस्थायी पदों की कुल संख्या | कितने अस्थायी पदों को स्थायी करना है जिनकी अवधि तीन वर्ष से अधिक है और आगे भी बराबर बने रहने की संभावना है। | अबतक किये गये स्थायी पदों की संख्या। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| स्थायी किये गये पदों पर पदस्थापित कर्मचारियों की संख्या। | शेष स्थायी पदों की संख्या (स्तम्भ-4 और 5 का अन्तर। | शेष अस्थायी पदों की संख्या (स्तम्भ-३ और 4 का अन्तर) | अस्थायी पदों को स्थाया किये जाने के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष द्वारा की गई कार्रवाई। | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

संख्या ओ० एम०/आर०-010/78/226

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग,

( संघटन एवं पद्धति प्रशाखा )

सेवा में;

सरकार के सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक 21 मार्च, 1978 ।

विषय :—दिसम्बर, '77 को समाप्त हुए छः माही में अस्थायी पदों एवं पदधारकों के स्थायीकरण के बारे में सरकारी नीति का अनुपालन प्रतिवेदन ।

प्रसंग :—मंत्रिमंडल सचिवालय (संघटन एवं पद्धति प्रशाखा) द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या ओ० एम०/ इ-1—026,69-511 दिनांक 19-11-1969, पत्र संख्या ओ० एम०/ई-1-026/69-19 दिनांक 15 जनवरी, 1970, पत्र संख्या-ओ० एम०/आर-1-042/72—200 दिनांक 11 मई, 1972 तथा ओ० एम०/आर-1-0103/77—837 दिनांक 12-12-77 ।

निदेशानुसार अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस प्रशाखा द्वारा निर्गत किये गये आदेशों (प्रतिलिपियाँ अनुलग्न) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि विभागों/विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में वर्षों से चले आ रहे अस्थाई पदों का स्थायीकरण तथा किये गये स्थायी पदों पर पदधारकों का पदस्थापन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पूर्व में अनेकों बार निदेश भेजे जा चुके हैं । परन्तु ऐसा देखा जाता है कि सरकार के अधिकतर विभागों/कार्यालयों से अपेक्षित विवरणी नहीं भेजी जाती है । इसके अलावा जो भी विवरणी प्राप्त होती है वह असामयिक हुआ करती है ।

2— अतः सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों को पूर्व में वर्णित परिपत्रों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध किया जाता है कि विभागों में जो पद अस्थायी हैं तथा जिन्हें नियमानुसार स्थायी करना है, उनके बारे में अविलम्ब आवश्यक निदेश जारी करें तथा निर्धारित सामयिक विवरणी को यथासमय संशोधित विवरणी में अनिवार्य रूप से इस प्रशाखा में अग्रसारित करने की कृपा की जाय ।

3—विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करें कि वे उपरोक्त विषयक प्रतिवेदन अपने प्रशासी विभाग को भेजें और प्रशासी विभाग इन प्रतिवेदनों को संकलित कर इस प्रशाखा को विहित संशोधित प्रपत्र में भेजने का कष्ट करें ।

( राजेन्द्र प्रसाद )
सरकार के अवर सचिव

4—पत्र संख्या ओ० एम०/आर०-1042/72—200, दिनांक 11 मई 1972, अवर-सचिव, बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय (संघटन एवं पद्धति शाखा) द्वारा सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को प्रेषित ।

विषय—मंत्रिमंडल सचिवालय तथा संघटन एवं पद्धति प्रशाखा में विभिन्न विभागों से प्राप्त होनेवाले रिपोर्ट्स तथा रिटर्न्स ।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि दिनांक 12 अप्रील 1972 को प्रमुख सचिवों की बैठक में मंत्रिमंडल सचिवालय तथा संघटन एवं पद्धति प्रशाखा में विभिन्न विभागों से प्राप्त होनेवाले रिपोर्ट्स तथा रिटर्न्स के बारे में विचार-विमर्श हुआ और यह निर्णय लिया गया कि उक्त सभी रिपोर्ट्स एवं रिटर्न्स आवश्यक हैं या नहीं अथवा उनमें किसी सुधार या संशोधन की आवश्यकता है; इस प्रश्न पर सभी प्रधान संचिवों से मन्तव्य प्राप्त किया जाय । इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रधान सचिवों से जो मन्तव्य प्राप्त हुए उनके आलोक में विचार करते हुए सरकार ने रिपोर्ट्स एवं रिटर्न्स भेजने की वर्त्तमान पद्धति में कुछ संशोधन किया है, जो